प्रकरण संख्या 7/2021 श्रीमती मगनी बनाम भज्जा व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2025	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट व उनके पति स्वर्गीय प्यारा द्वारा वर्ष 1973 में घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय हाजा एवं माननीय राजस्व मण्डल तक निर्णित होकर न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में पुनः अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनांक 15.02.2021 अपील अबेट होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी संख्या 2 ने दिनांक 12.03.2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री डूंगरसिंह कर्णावत उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री एस. एल. लढढा उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने गुणावगुण पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आदेश 22 नियम 3 जा.दी. व आदेश 22 नियम 9 जा.दी. तथा धारा 5 के मूल दस्तावेजात को सींगे से ढूढवाकर मंगवाने के बजाय अपीलान्ट द्वारा ली गयी फोटो स्टेट पर ही आदेश पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट ने बहस के दौरान प्यारासिंह वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिससे स्पष्ट है कि मृत्यु दिनांक 29.06.2018 को हुई, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इसकी अनदेखी करते हुए फैसले में लिख दिया कि कायम मुकाम की दरख्वास्त 3 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत की गयी है, जबकि दिनांक 28.10.2020 को 2 वर्ष 4 माह ही होते हैं एवं कोविड के कारण सुप्रिम कोर्ट ने दिनांक 23.03.2020 से मार्च 2021 तक अवधि को माफ किया हुआ है। इस दृष्टि से विलम्ब मात्र दो वर्ष का ही होता है। अपीलान्ट 100 वर्ष [illegible] ली है जो वर्ष 1973 में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested

दावा दायर करते वक्त 52 वर्ष की थी। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली 15 वर्षो तक बिना प्रभावी कार्यवाही के पेण्डिंग रही, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है एवं वादी संख्या 1 की मत्यु होने पर वादी संख्या 2 वृद्ध महिला एवं ग्रामीण परिवेश की होने से वाद को मात्र अबेट होने के आधार पर खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का अबेटमेन्ट आदेश निरस्त करते हुए वादी संख्या 1 की मृत्यु पर उनके वारिसान को कायम मुकाम प्रतिस्थापित करते हुए वाद में कार्यवाही पुनः प्रारम्भ की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें AIR 1985 SC Page 606, AIR 1975 Raj. Page 208, AIR 1980 Patna Page 73, AIR 1987 Patna Page 239 प्रस्तुत की।

अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अपीलान्ट मगनी खातेदार नहीं है, जिससे विवादित भूमि पर उसके कोई हक व अधिकार नहीं है। आदेश 22 नियम 3 के प्रार्थना पत्र में दो रेस्पोन्डेन्ट के नाम लिखे। अपील मेमों में मरे हुए लोगों के नाम हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अबेटमेन्ट आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें DNJ 2019 Page 570, DNJ 2010 Page 1195, DNJ 2012 Page 729, DNJ 2011 Page 1506 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का अवलोकर किया। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि प्रकरण वर्ष 1973 से लम्बित होकर माननीय राजस्व मण्डल तक निर्णित होकर पुनः अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड हुआ। न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश की पालना में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया तथा 15 वर्षो तक कार्यवाही चलते हुए वर्ष 2021 में मात्र अबेटमेन्ट के आधार पर खारिज किया जाना विधि सम्मत नहीं है, जबकि वादी प्यारा की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी मगनी पूर्व से वादी संख्या 2 के रूप में मौजूद है। ऐसी स्थिति में कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested

दावा अबेट नहीं हो सकता, जैसाकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के अवलोकन से स्पष्ट है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अबेटमेन्ट के आधार पर अपीलान्ट/वादी का वाद जो खारिज किया है, वह प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 82/2006 आदेश दिनांक 15.02.2021 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादी संख्या 1 प्यारा के वारिसान की नामकायमी कर उसके स्थान पर प्रतिस्थापित करते हुए वाद में कार्यवाही पुनः प्रारम्भ कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.06.2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.05.16 16:19:03 IST
Reason: SelfAttested